भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2008

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

हिमाचल प्रदेश में सूखते जल स्त्रोत

2008. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण हिमाचल प्रदेश में सूख चुके जल स्रोतों और जल धाराओं की रिपोर्टों का संज्ञान लिया हैं;

(ख) यदि हाँ, तो हिमाचल प्रदेश में पिछले दस वर्षों के दौरान सूख चुकी जल धाराओं, नदियों और अन्य जल स्रोतों का ब्यौरा क्या है और जिलेवार उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या क्षेत्र में कृषि, जल विद्युत और पेयजल आपूर्ति पर सूखते जल स्रोतों के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन या सर्वेक्षण किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्षेत्र में जल स्रोतों के पुनरुद्धार और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए/गए उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या जल संरक्षण और प्रबंधन परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): जल राज्य विषय होने के कारण, जल संसाधनों का संवर्धन, संरक्षण, और कुशल प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के अनुसार, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और अत्यधिक भूजल निकासी के कारण जल स्रोतों के सूखने संबंधी कोई भी मामला सामने नहीं आया है। भारत के सक्रिय भूजल संसाधन रिपोर्ट वर्ष 2024 के अनुसार, राज्य के 10 भूजल आकलन इकाइयों को सुरक्षित माना गया है। राज्य का वार्षिक भूजल पुनर्भरण 1.11 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीएमसी) के रूप में आंका गया है, जिसमें से 1.01 बीएमसी वार्षिक निकासी योग्य संसाधनों के रूप में निर्दिष्ट है। सभी क्षेत्रों में कुल वार्षिक भूजल निकासी 0.36 बीसीएम है, जिससे भूजल निष्कर्षण दर 35.48% है जो सतत सीमाओं के भीतर है।

(ग): जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण, मूल्यांकन और कुशल प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, वर्ष 2022 से, भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्लयूबी) द्वारा हिमाचल प्रदेश सहित राज्य सरकारों के सहयोग से, देश के सक्रिय भूजल संसाधनों का वार्षिक मूल्यांकन किया जा रहा है।

सीजीडब्ल्यूबी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (एएपी) 2023-24 के भाग के रूप में कांगड़ा जिले में एक स्प्रिंगशेड प्रबंधन अध्ययन किया गया। यह अध्ययन स्प्रिंगशेड में गिरावट और उस क्षेत्र में पीने, घरेलू और सिंचाई की आवश्यकताओं के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में कार्य करने वाले झरनों के सूखने की रिपोर्टों के मद्देनजर किया गया। अध्ययन के दौरान कुल 233 झरनों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें तीन प्रमुख प्रकारों अर्थात फ्रैक्चर्ड/फिशर्ड स्प्रिंग (अधिकांश), कॉन्टेक्ट स्प्रिंग, और डिप्रेशन स्प्रिंग की पहचान की गई।

अध्ययन में पाया गया कि क्षेत्र के अधिकांश स्रोत संरचनात्मक रूप से नियंत्रित हैं, जिनमें टूटे और दरार भरे स्रोत मुख्य रूप से प्रमुख लाइनमेंट और फ्रेक्चर के साथ संरेखित हैं। निकासी माप के अंतर्गत पूर्व-मॉनसून अवधि के दौरान प्रति मिनट 60-200 लीटर (एलपीएम) की सीमा को दर्शाया है, जो मॉनसून पश्चात अवधि में बढ़कर 60-300 एलपीएम हो गया।

(घ): 'जल' राज्य का विषय है, इसलिए जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन हेतु संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाए जाते हैं।

तथापि, केंद्रीय सरकार ने जल की कमी वाले क्षेत्रों सहित जल उपलब्धता में वृद्धि और भूजल पुर्नभरण हेतु देश भर में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं। इस संबंध में की गई प्रमुख पहलों में 'जल शक्ति अभियान – कैच द रैन' (जेएसए: सीटीआर) अभियान; अटल भूजल योजना (अटल जल); महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा); प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई); अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत); अमृत सरोवर मिशन; एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल); मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016; शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014; प्रतिकारी वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) आदि शामिल हैं। इसके अलावा, पीएमकेएसवाई 2.0 का वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) में स्प्रिंग शेड प्रबंधन को एक मुख्य गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही, भारतीय हिमालय क्षेत्र में राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एनएमएचएस) में सामुदायिक भागीदारी घटक शामिल है।

जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2019 में देश के जल की कमी वाले 256 जिलों में समयबद्ध, मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के रूप में जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया। माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 2021 में "कैच द रेन - व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स" टैगलाइन के साथ "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) शुरू किया, जिसमें पांच केंद्रित कार्यकलाप (1) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन (2) सभी जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और सूची बनाना; इसके आधार पर जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजना तैयार करना (3) सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना (4) गहन वनीकरण और (5) जागरूकता लाना शामिल है। देश भर के सभी जिलों, ब्लॉकों और नगर पालिकाओं को कवर करने के लिए इस अभियान को बढ़ाया गया था। जेएसए: सीटीआर 2002 अभियान पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्प्रिंगशेड विकास पर ध्यान देते हुए शुरू किया गया था।

पेयजल योजना के सभी जल स्रोतों की जियो-टैगिंग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस अभियान की चौथे संस्करण की शुरूआत "पेयजल हेतु स्रोत स्थिरता" विषय के साथ शुरूआत की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि जेएसए: सीटीआर 2023 अभियान के तहत कुल 47 भूजल और स्प्रिंग स्रोत जियो-टैगिंग किए गए हैं। वर्ष 2024 अभियान में, 17,670 भूजल और स्प्रिंग स्रोतों को भू-टैग किया गया है।

जेएसए:सीटीआर को और अधिक सुदृढ करने हेतु, "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल की शुरूआत जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए:सीटीआर) अभियान के तहत 06 सितंबर, 2024 को गुजरात के सूरत से की गई, जो सामुदायिक संगठन को बढ़ाने पर केंद्रित है ताकि संतृप्ति मोड में कम लागत वाली वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जा सके। जेएसए:सीटीआर और जेएसजेबी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यों का विवरण क्रमश: अनुलग्नक । और अनुलग्नक ।। पर दिया गया है।

(ड़): 'जल' राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन हेतु मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाए जाते हैं। तथापि, केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना घटकों के अंतर्गत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा), वित्त आयोग अनुदान इत्यादि के वित्तीय सम्मिलन पर जोर देता है।

"जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल का उद्देश्य त्वरित मोड पर कम लागत वाली वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण हेतु समुदाय को संवेदनशील बनाना है। जेएसजेबी की शुरूआत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए, बोरवेल, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज पिट जैसी कम लागत वाली संरचनाओं के निर्माण के लिए समुदाय के फंड, व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तदायित्व निधि आदि के उपयोग के माध्यम से की गई, ताकि वर्षा जल एकत्र किया जा सके, भूजल स्तर को बढ़ावा दिया जा सके और पानी की समस्याओं के लिए स्थानीय स्तर पर अनुकूलित समाधान प्रदान किया जा सके।"

इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं, जो स्थानीय लोगों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने और वर्षा जल संचयन प्रणालियों के कार्यान्वयन में जिला प्रशासन को सहयोग करने हेतु समर्पित संसाधन और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, जिलों ने अपने-अपने जिलों में सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु जिला जल संरक्षण योजनाएँ बनाई हैं। जेएसए:सीटीआर के अंतर्गत, विभिन्न जिलों को मौजूदा जल निकायों/जल संचयन संरचनाओं के नवीनीकरण और नए जल निकायों/जल संचयन संरचनाओं के निर्माण हेतु जिला स्तर की वैज्ञानिक जल संरक्षण योजनाएँ तैयार करने के लिए सीटीआर निधियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। अब तक, हिमाचल प्रदेश में जेएसए:सीटीआर के तहत 6 जिला जल संरक्षण योजनाएँ तैयार की गई हैं।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्लयूबी), राज्य सरकारों के परामर्श से, देश के सक्रिय भूजल संसाधनों का वार्षिक मूल्यांकन करता है। ये नियमित अनुमान भूजल पुनर्भरण, उपयोग और सभी आकलन इकाइयों में समग्र उपलब्धता के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे विभिन्न हितधारकों को निर्णय लेने में मदद मिलती है।

इसके अलावा, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने देश के लगभग 25 लाख वर्ग किमी के संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलग्रहण मानचित्रण (नेक्यूम) परियोजना पूरी की, जिसमें देश के जल की कमी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके भूजल हेतु कृत्रिम पुनर्भरण के लिए वर्ष 2020 की मास्टर योजना भी तैयार की। यह वृहद स्तर की योजना जल की कमी वाले क्षेत्रों सहित देश भर के विभिन्न भूभाग की परिस्थितियों के संबंध में उपयुक्त पुनर्भरण संरचनाओं के विभिन्न प्रकारों की पहचान करती है। भूजल कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर योजना - 2020 को कार्यान्वयन हेतु राज्यों के सभी संबंधित विभागों में परिचालित किया गया है।

भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने देश में कई सफल कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है, जिसमें प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए पुनर्भरण गड्ढे शामिल हैं, जो राज्य सरकारों को समान उचित जलविज्ञानीय स्थितियों में इन्हें लागू करने में सक्षम बनाता है। राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा वर्षा जल संचयन प्रणाली को लागू करने में सामना की जा रही चुनौतियों का समाधान करने हेतु , भारत सरकार ने एक व्यापक, बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इस रणनीति के तहत, केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) और तकनीकी अधिकारी (टीओ) केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्लयूबी) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के साथ मिलकर जिलों का दौरा करते हैं और उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

केंद्रीय क्षेत्र की योजना भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्लयूएमआर) योजना के अंतर्गत, सीजीडब्ल्यूबी ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं सहित संरक्षण और वर्षा जल संचयन पहलों के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। चूंकि जीडब्ल्यूएमआर का कार्यान्वयन केंद्रीय रूप से किया जाता है, सभी गतिविधियों का संचालन प्रत्यक्ष रूप से सीजीडब्यूबी द्वारा किया जाता है।

*****

अनुलग्नक-I

"हिमाचल प्रदेश में सूखते जल स्त्रोत" के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 2008 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन								
राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय								
कार्यकलाप-वार स्थिति रिपोर्ट (जेएसए 2019 - 2025)								
मंत्रालय/विभाग: सभी *आंकड़े पूर्ण हो चुके और चल रहे कार्यों की संख्या दर्शाते हैं								
क्र.सं.	वर्ष	जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन	पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण	पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं	वाटरशेड विकास	जल संबंधी कुल कार्य	गहन वनरोपण	व्यय - जल संबंधी कार्य और वनरोपण सहित (करोड़ रुपये में)*
1	2019	273256	44497	142740	159354	619,847	123,599,566	लागू नहीं
2	2021	1627677	295836	832596	1918913	4,675,022	367,660,580	65,516
3	2022	1241770	267782	872489	1628706	4,010,747	783,836,035	23,863
4	2023	1242357	283786	680256	1484611	3,691,010	55,026,292	18,915
5	2024	1301806	308711	534564	2021450	4,166,531	64,845,783	8873
6	2025	700287	107760	170916	703393	1,682,356	17,408,545	913
कुल		6,387,153	1,308,372	3,233,561	7,916,427	18,845,513	1,412,376,801	118,080
कुल (जल शक्ति केंद्र)						712		
कुल (डब्ल्यूसीपी)						639		

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन						
राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय						
हिमाचल प्रदेश – कार्यकलाप-वार प्रगति (दिनांक 22-03-2021 से 29-07-2025 तक की स्थिति)						
जेएसए वर्ष	जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन	पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण	पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं	वाटरशेड विकास	जल संबंधी कुल कार्य (वर्ष-वार)	जल संबंधी कुल कार्य (राज्य-वार)
2021	14011	2505	1046	39810	57372	294988
2022	13429	2454	1101	40287	57271	
2023	18806	1981	1229	45408	67424	
2024	22651	2157	1623	67526	93957	
2025	3499	238	259	14968	18964	
कुल	72396	9335	5258	207999	294988	

*****

अनुलग्नक- **II**

"हिमाचल प्रदेश में सूखते जल स्त्रोत" के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 2008 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जल संचय जनभागीदारी 1.0 के तहत राज्य-वार प्रगति				
(दिनांक 31.05.2025 तक की स्थिति के अनुसार)				
क्र.सं.	राज्य	पूर्ण हो चुके कार्य	चल रहे कार्य	कुल कार्य
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	119	14	133
2	आंध्र प्रदेश	36338	45990	82328
3	असम	1710	188	1898
4	बिहार	134431	7480	141911
5	चंडीगढ़	11	17	28
6	छत्तीसगढ	405563	31332	436895
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	92	0	92
8	दिल्ली	201	0	201
9	गोवा	7	0	7
10	गुजरात	133522	28188	161710
11	हरियाणा	7465	617	8082
12	हिमाचल प्रदेश	148	36	184
13	जम्मू और कश्मीर	6129	90	6219
14	झारखंड	2798	519	3317
15	कर्नाटक	115303	22132	137435
16	केरल	5396	4235	9631
17	लद्दाख	1	1	2
18	मध्य प्रदेश	276625	31858	308483
19	महाराष्ट्र	7130	843	7973
20	मणिपुर	34	10	44
21	मेघालय	3356	200	3556
22	मिजोरम	1	0	1
23	नगालैंड	63	0	63
24	ओडिशा	101174	57907	159081
25	पुदुचेरी	161	3	164
26	पंजाब	6093	14911	21004

27	राजस्थान	364968	51115	416083
28	सिक्किम	18	0	18
29	तमिलनाडु	68887	13407	82294
30	तेलंगाना	520332	41038	561370
31	त्रिपुरा	12305	292	12597
32	उतार प्रदेश	141055	26259	167314
33	उत्तराखंड	2333	482	2815
34	पश्चिम बंगाल	25	5	30
कुल		2353794	379169	2732963

*****